न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः— श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 48/2019

श्री छोटू वयस्क पुत्र स्व0 रामचन्द्र जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम शम्भुपूरा तहसील ब्यावर जिला—अजमेर राज0

———प्रार्थी

ब ना म

1— श्री मांगू वयस्क पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी
2— श्री नारायण वयस्क पुत्र स्व0 श्री रामचन्द जी
3— श्री भैरू वयस्क पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी
4— श्री मेवा वयस्क पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी
5— श्री राजू वयस्क पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी
6— श्रीमति भंवरी वयस्क पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र जी
7— श्रीमति नौसर वयस्क पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र जी
8— श्रीमति नैनी वयस्क पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र जी
9— श्रीमति मतिया वयस्क पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र जी
समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम शम्भूपुरा तहसील ब्यावर जिलाअजमेर
10— राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर
11— श्रीमान् उपपंजीयक महोदय तहसील कार्यालय, ब्यावर
12— राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांकः— 11-09-19

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि मौजा शम्भुपरा पटवार क्षैत्र ब्यावर खासतहसील ब्यावर में स्थित खसरा नंबर 1102 रकबा 00—05—00, 1134 रकबा 01—10—00, 1140 रकबा 01—03—10, 1143 रकबा 01—07—00, 1149 रकबा 00—07—00, 1220 रकबा 00—02—00, 1221 रकबा 02—07—00, 1222/1 रकबा 00—14—00 कुल रकबा 07—15—10 एंव खसरा नंबर 1159 रकबा 01—11—10 स्थित चली आ रही है। उक्त भूमियो प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है, जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज श्री रामचन्द्र पुत्र हरदेव जी चले आ रहे थे रामचन्द्र जी का स्वर्गवास हो चुका है, तथा उनकी पत्नि श्रीमति श्रवणी का भी स्वर्गवास हो चुका है। जिनकी वंशावली प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अकित है। उक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 के उप पद क में वर्णित भूमियो के प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 प्रत्येक 1/10—1/10 हिस्सा बराबर बराबर हो गया। इसी प्रकार पद पद ख में वर्णित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का बराबर बराबर 1/6—1/6 हिस्सा चला आ रहा है। प्रार्थी भी अपने उपरोक्त वर्णित हक हिस्से के अनुसार उपरोक्त आराजियात में संयुक्त रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, तथा प्रार्थी का भी उपरोक्त समस्त आराजियात में संयुक्त रूप से हक हिस्सा कब्जा काश्त हित अधिकार स्वत्व आधपित्य उपयोग उपभोग अनवरत रूप से सभी अप्रार्थीगण की जानकारी में चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमियो का आज दिवस तक बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हो रखा है । जिसकी वहज से आये दिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के मध्य

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

विवाद होते रहते है। इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात को संयुक्त नही रखना चाहता है। उक्त आराजियात का बंटवारा करवाकर अपना हक हिस्सा अलग करवाने का अधिकारी है। पिछले काफी समय से भूमियो की कीमते बढने के कारण से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की नियत खराब हो चुकी है, तथा उक्त अप्रार्थीगण ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थी को उपरोक्त आराजियात से बेदखल करके उस पर कब्जा करने तथा प्रार्थी को बेदखल करने तथा अन्य बेचान करते हुये अन्य को काबिज करवाने तथा उसमें तोडफोड एंव निर्माण करवाते हुये उसका स्वरूप ही परिवर्तित कर देने पर आमादा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 दिनांक 13.6.2019 व 17.6.2019 को वादग्रस्त आराजियात पर आये और प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते हुये जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थी को बेदखल करने की कोशिश करने लगे। किन्तु प्रार्थी व उसके परिजनो के भारी विरोध के कारण वे उसमें सफल नही हो सके। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने प्रार्थी को धमकी दी, कि हम तुझे कोई हिस्सा नही देंगे। हमारी नजर पूरी आराजियात पर है। इस पर प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे उपरोक्त आराजियात का विभाजन करके प्रार्थी का हिस्सा अलग कर देवे किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 विभाजन कराने तथा प्रार्थी को हिस्सा देने से इन्कार हो गये इसलिये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है, उक्त तथ्यो का एक वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है, जो वाद काफी ठोस तथ्यो पर आधारित है, तथा सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है, तथा उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टिया केस साबित है और सहुलियत का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है, और अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी के हक हिस्से, कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थी को उक्त भूमियो से अथवा उसके किसी भी भाग से बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त भूमियो को रहन बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। तथा अप्रार्थी संख्या 10 व 11 को भी पांबद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के द्वारा वादग्रस्त भूमियो अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में बिना विभाजन कराये तथा प्रार्थी को हिस्सा दिये बिना किसी तरह का एंव किसी भी आशय का कोई हस्तांतरण विलेख अथवा कोई नामान्तकरण किसी व्यक्ति के पक्ष में ना तो कोई विलेख पंजीयन करे ना ही पंजीयन संबंधी कोई कार्यवाही ही करे। तथा खर्चा दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 बावजूद नोटिस तामीली के कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 106 के अनुसार विवादित भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खाता संख्या 107 में वर्णित खसरा नंबर 1159 में मांगू, नारायण, भैरू, मेवा, छोटू, राजू पिसरान रामचन्द्र जाति गुर्जर का नाम दर्ज होना

.....लगातार

(जसवीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

पाया गया तथा इसी जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 127 दिनांक 5.5.2014 के अनुसार राजू पुत्र रामचन्द्र ने अपना 1/6 हिस्सा जरिये बेचान श्री मेवा, मांगू पिसरान रामचन्द्र के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 111 में वर्णित खसरान रामचन्द्र पुत्र हरदेव का फोती दाखिल खारीज संख्या 57 दिनांक 23.11.2010 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के नाम खोला जाना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2059 से 2062 के खाता संख्या 97 में रामचन्द्र पुत्र हरदेव के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमावंदी संवत 2059 से 2062 एंव 2066 से 2069 में खसरा नंबर 1159 मांगू, नारायण, भैरू, मेवा, छोटू, राजू पिसरान रामचन्द्र जाति गुर्जर का नाम दर्ज होना पाया गया।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के अनुसार विवादित भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। प्रत्येक सहखातेदार अपने निहित हक हिस्से को बेचान करने का पूर्ण अधिकार रखता है जिसमें किसी दूसरे सहखातेदार को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होना कारित नहीं होता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि उसे किस हिस्से से बेदखल किया जा रहा है अथवा उसके किस हिस्से पर कौनसा पक्षकार कब्जा करने पर आमादा है। चूंकि प्रकरण संयुक्त खातेदारी की भूमियों के बंटवारे को लेकर प्रस्तुत किया गया है साक्ष्य की स्टेज पर है। इसके अतिरिक्त भी प्रकरण की मौजूदा स्थिति में प्रथम दृष्टिया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी द्वारा साबित करने में असफल रहे है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज़ किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11-09-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.10 14:19:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: